अंगों के प्रत्यारोपण से सम्बन्धित मसअले

अंगों के प्रत्यारोपण के मुद्दे पर दूसरे फ़िक़्ही सेमिनार में ग़ौर हुआ। यह सेमिनार 8-11 दिसम्बर 1989 ई0 को दिल्ली में आयोजित हुआ।

1- किसी इंसान का कोई अंग बेकार हो गया हो और किसी कृत्रिम उपाय से उस अंग का काम जारी रखा जा सकता हो तो इसके लिए निम्न समाधान जाइज़ हैं:

(अ) अजैविक चीज़ों (लकड़ी, धात आदि) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ब) ऐसे जानवरों के अंग इस्तेमाल किए जा सकते है जिनका खाना शरई रूप से जायज़ हो और वह शरई तरीक़े से ज़िब्ह किया (काटा) गया हो।

(स) जान के जाने या किसी ज़रूरी अंग का बदल केवल ऐसे जानवरों में ही मिल सकता हो जिनका खाना हराम है या वह शरई तरीक़े से ज़िब्ह नहीं किए गए हों तो ऐसी मजबूरी की स्थिति में उनके अंगों का इस्तेमाल करने की इजाज़त है।

(द) अगर जान या आवश्यक अंग के जाने की बहुत ज्यादा आशंका न हो तो सुअर के अंग या उसके किसी भाग का इस्तेमाल जायज़ नहीं है।

2- ज़रूरत पड़ने पर किसी आदमी के शरीर का एक हिस्सा उसी आदमी के शरीर में किसी दूसरे स्थान पर लगाना जायज़ है।

3- इंसानी अंगों को बेचना हराम है।

4- अगर कोई बीमार ऐसी हालत में हो कि उसका कोई अंग इस प्रकार बेकार होकर रह गया है कि अगर उस अंग की जगह किसी दूसरे इनसान का अंग उसके शरीर में प्रत्यारोपित न किया जाए तो पूरी आशंका है कि उसकी जान चली जाएगी, और केवल इनसानी अंग के कोई दूसरा विकल्प (बदल) उस कमी को पूरा नहीं कर सकता और विशेषज्ञ भरोसेमंद चिकितसकों को विश्वास है कि केवल कोई इंसानी अंग प्रत्यारोपित करके किसी इंसान की जान बचाई जा सकती हो और वह अंग मौजूद हो (या मिल सकता हो) तो कोई और विकल्प न होने की स्थिति में मजबूरी की वजह से वह अंग प्रत्यारोपित कराके मरीज़ को अपनी जान बचाने की तदबीर करने की इजाज़त होगी।

5- कोई स्वस्थ आदमी डाक्टर की इस राय के बाद कि उसका एक गुर्दा निकाल लिए जाने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मजबूरी की हालत में किसी मरीज़ की जान बचाने के लिए उसे अपना एक गुर्दा बग़ैर क़ीमत लिए दे सकता है।

6- मरने के बाद अपने अंगों को प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल करने की वसीयत करना जायज़ नहीं है, ऐसी वसीयत शरीअत में मान्य भी नहीं है इस लिए उसे पूरा भी नहीं किया जाएगा।

नोटः मौलाना बुरहानुद्दीन संभली साहब इस प्रस्ताव के बिन्दु 4 व 5 से सहमत नहीं हैं।)